

**MANDATORY INSTRUCTIONS
FOR THE LOK ADALAT ON
12/12/2020**

**PARTIES MUST FOLLOW THE
NORMS OF SOCIAL
DISTANCING AND USE OF
MASK AND OTHER
GUIDELINES ISSUED BY THE
STATE GOVERNMENT FROM
TIME TO TIME.**

मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

क्रमांक-
प्रति,

/सचिव/रेरा/2020

भोपाल दिनांक- 27 /11/2020

- 6943 1. श्री व्ही.के. दुबे, न्यायनिर्णायक अधिकारी
6944 2. श्री डी.एन.शुक्ला, निष्पादन अधिकारी
6945 3. श्री आर.के. जोशी, विधिक सलाहकार
6946 4. श्री प्रहलाद सिंह तोमर, तकनीकी सलाहकार
6947 5. श्री सैय्यद ताहिर अली, जनसूचना अधिकारी
✓ 6948 6. श्रीमती पारूल दुबे, आई.टी.सेल प्रभारी
6949 7. श्री के.ए. थॉमस, लेखाधिकारी
6950 8. श्री सूर्यकांत शर्मा, वसूली अधिकारी

विषय:- लोक अदालत आयोजित करने के संदर्भ में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यथा आदेशित उल्लेख है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुसार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं म.प्र. में दिनांक 12.12.2020 को लोक अदालत आयोजित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि यथा प्रस्तावित सफल क्रियान्वयन के लिए अपना सहयोग प्रदान करे व ज्यादा-से-ज्यादा प्रकरणों को लोक अदालत में रखने का प्रयास करे। प्राधिकरण की संशोधित आदेश पत्रिका संलग्न है। प्राधिकरण के आदेशानुसार जानकारी दिनांक 07.12.2020 तक सूची भेजने का कष्ट करे।

सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण



म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन अरेरा हिल्स, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल

लोक अदालत

	विषय:- दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नेशनल लोक अदालत के आयोजन बावत्।	
01.12.2020	<p>संबंधित पत्र का अवलोकन किया। मैं पूर्व में सदस्य सचिव राज्य विधिक प्राधिकरण में कार्यरत रहा हूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सभी विभागों के लिए जहाँ-जहाँ विवादों का निराकरण होता है। उनके शीघ्र निराकरण के लिए लोक अदालत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा निर्धारित तिथि पर संचालित की जाती है। इस संदर्भ में सचिव रेरा के प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार संशोधन आदेश दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. लोक अदालत का प्रारम्भ दिनांक 12.12.2020 को सुबह 10:30 बजे दीप प्रज्वलित किया जावेगा। दीप का प्रज्वलन किसी भी पक्षकार के द्वारा किया जावेगा। तदोपरान्त लोक अदालत 11:00 बजे प्रारंभ की जाएगी।2. लोक अदालत के लिए निम्नलिखित खण्डपीठ स्थापित की जावेगी:- (अ) <u>खण्डपीठ क.1 :- रेरा प्राधिकरण के प्रकरण</u><ol style="list-style-type: none">1. श्री दिनेश नायक न्यायिक (सदस्य) — अध्यक्ष2. श्री आर.के. जोशी विधिक सलाहकार — सदस्य <p>सहयोगी कर्मचारी-</p> <ol style="list-style-type: none">1. श्री जगदीश सेजेकर, रीडर2. श्री लालजी चतुर्वेदी, स्टेनोग्राफर (हिन्दी)3. श्री पंकज पाठक, स्टेनोग्राफर (हिन्दी)4. श्री अमित प्रजापति, स्टेनोग्राफर (हिन्दी)5. श्री मुनेन्द्र सिंह सेंगर, कम्प्यूटर ऑपरेटर6. श्री सौरभ श्रीवास्तव, कम्प्यूटर ऑपरेटर7. सुश्री जया राक्से, कम्प्यूटर ऑपरेटर8. श्री सुनील पटेल, भृत्य9. श्री मुकेश अहिरवार, भृत्य10. श्री ज्ञानेश्वर खण्डारे, भृत्य	



म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन अरेरा हिल्स, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल

लोक अदालत

विषय:- दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नेशनल लोक अदालत के आयोजन बावत्।

(ब) खण्डपीठ क. 2- न्यायनिर्णायक अधिकारी के न्यायालय के प्रकरण

1. श्री व्ही.के.दुबे

न्यायनिर्णायक अधिकारी

-

अध्यक्ष

2. सुश्री जूही रघुवंशी

अधिवक्ता

-

सदस्य

सहयोगी कर्मचारी-

1. सुश्री स्वाति ठाकरे, स्टेनोग्राफर (हिन्दी)

2. सुश्री शुभांगी ठाकरे, कम्प्यूटर ऑपरेटर

3. श्री शुभम सक्सेना, रीडर

3. श्री राहुल चौधरी, भृत्य

(स) खण्डपीठ क. 3 निष्पादन अधिकारी के प्रकरण

1. श्री डी.एन.शुक्ला - निष्पादन अधिकारी

2. श्री जे.एम. चतुर्वेदी - सदस्य

सहयोगी कर्मचारी-

1. श्री सूर्यकांत शर्मा, वसूली अधिकारी

2. सुश्री अनामिका द्विवेदी, स्टेनोग्राफर

3. सुश्री किरण बैरवा, रीडर

3. श्री सचिन कुशवाहा, भृत्य

(द) श्री दिलीप कापसे

सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी -

को-ऑर्डिनेटर

सहयोगी कर्मचारी-

श्री राहुल शेडामें, कम्प्यूटर ऑपरेटर

श्री मनीष बोरकर, भृत्य

(ध) श्री सैय्यद ताहिर अली

जनसूचना अधिकारी -

सहयोगी कर्मचारी-



म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन अरेरा हिल्स, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल

लोक अदालत

विषय:- दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नेशनल लोक अदालत के आयोजन बावत्।

1. श्री के.एम. नायर, कार्यालय अधीक्षक
2. श्री शुभम बघेल, कम्प्यूटर ऑपरेटर
2. श्री राहुल सूर्यवंशी, भृत्य

1. खण्डपीठ क.1 प्राधिकरण के प्रथम मंजिल सुनवाई कक्ष में स्थापित की जाएगी। खण्डपीठ क.2 न्यायनिर्णायक अधिकारी के न्यायालीन कक्ष में स्थापित की जाएगी। खण्डपीठ क.3 का प्रथम मंजिल पर छोटे मीटिंग हॉल में स्थापित की जाएगी।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, शिकायत शाखा के प्रभारी श्री दिनेश कुमार नायक (न्यायिक सदस्य), न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री व्ही.के. दुबे तथा निष्पादन अधिकारी श्री डी.एन. शुक्ला को सूचित करेंगे कि वो अपने न्यायालय के अधिक से अधिक प्रकरण में राजीनामा करने का प्रयास करें और इसकी सूची दिनांक 04.12.2020 तक प्राधिकरण में प्रस्तुत करें कि कितने प्रकरण वे लोक अदालत में रख रहे हैं।
3. दिनांक 04.12.2020 को 3 बजे सभी सी.ए. एवं दिनांक 05.12.2020 को सभी अधिवक्तागण के साथ 3 से 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं सीधे चर्चा की जावे कि इसकी सूचना श्री रमन नायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर सभी अधिवक्तागण एवं सी.ए.गण को भेजें।
4. अनावेदकगण के अधिवक्तागण एवं सी.ए. को भी आई.टी.शाखा के द्वारा लोक अदालत की सूचना उनके ई-मेल पते पर भेजी जावे।
5. रैरा प्राधिकरण में लोक अदालत का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, जिला न्यायालय भवन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करेंगे कि रैरा भवन में लोक अदालत का संचालन किया जा रहा है। इस संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करे।
6. लोक अदालत सुबह 11 बजे प्रारंभ होगी। दोपहर 1:30 बजे चाय का ब्रेक/लंच होगा उसके पश्चात् 2:15 से लोक अदालत का कार्य समापन तक (कार्य पूर्ण होने तक) चालू रहेगा।
7. लोक अदालत अवकाश में आयोजित की जा रही है इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय सदस्यगण एवं कर्मचारियों को



म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन अरेरा हिल्स, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल

लोक अदालत

विषय:— दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नेशनल लोक अदालत के आयोजन बावत्।

मानदेय होगा। लोकअदालत की कार्यवाही संचालित हो जाने के बाद सम्पूर्ण जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, भोपाल को भेजी जाएगी। कार्यरत कर्मचारियों की सूची भी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जावे।

8. तीनों खण्डपीठ के रीडर रेरा तीनों ही खण्डपीठ की जानकारी तैयार कर जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तदोपरान्त जानकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत एवं अखबार में प्रकाशन के लिए भेजेगें।
9. जनसूचना अधिकारी समय-समय पर प्राधिकरण से सम्पर्क कर लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु अनुमोदन प्राप्त करेंगें।
10. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी इस लोक अदालत के को-ऑर्डिनेटर/समन्वयकर्ता रहेंगें। सम्पूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाने के पश्चात नस्ती पर जानकारी प्रभारी अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। तदोपरान्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भोपाल एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को भेजेगें। तदाशय की सूचना सभी अधिकारियों को भेजी जावे।
11. प्रभारी अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सचिव प्रथम लोक अदालत रेरा में संचालित किये जाने के प्रचार-प्रसार के लिए बैनर तैयार कराये। बैनर को जिला न्यायालय के विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के कार्यालय में अपीलीय अधिकरण, भोपाल एवं रेरा प्राधिकरण, भोपाल के रेरा सुलभ स्थान पर बाहर लगाये जाने की व्यवस्था करेंगे तथा रेरा में लोक अदालत का संचालित किया जा रहा है। इसकी सूचना अध्यक्ष जिला बार एसोसियेशन भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर को भी डाक से भेजेगे।

(दिनेश कुमार नायक)
सदस्य (न्यायिक)
प्रभारी अध्यक्ष

सचिव/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी